बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

खाद्य भवन, दरोगा राय, पथ, आर0ब्लॉक रोड न0–2 पटना–1

सकारण आदेश

अधिप्राप्ति वर्ष–2016–17 में सी0एम0आर0 के भंडारण हेतु सुशीला देवी एण्ड कम्पनी, द्वारिका भवन, चौक रोड, गया के द्वारा दि0–07.07.17 से दि0–21.09.17 तक जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, गया को गोदाम उपलब्ध कराया गया। उक्त गोदाम का किराया निर्धारण निगम मुख्यालय पत्रांक–12555 दिनांक–11.12.17 के द्वारा स्वीकृत की गई। स्वीकृति के आलोक में की गई भुगतान से गोदाम मालिक असहमत होते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0 डब्लु0 जे0 सी0–21234/18 दाखिल की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त मामले को निष्पादित करते हुए दि0–27.11.18 को निम्न आदेश पारित किया गया।

''Accordingly, it is directed that the petitioner shall file a representation before the respondent no. 3 regarding his grievances raised in the writ petition within a period of four weeks from today and the respondent no. 3 is directed to dispose of the same within a period of twelve weeks thereafter."

उक्त आदेश के आलोक में मेसर्स सुशीला देवी एण्ड कम्पनी के द्वारा दिनांक–04.12.2018 को हस्ताक्षरित आवेदन पत्र निगम को समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा एस0डब्लू0सी0 के निर्धारित दर मो0–11.16/–रुपये प्रति वर्ग फिट की दर पर भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं मेसर्स सुशीला देवी एण्ड कम्पनी के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में निगम मुख्यालय पत्रांक–7230 दि0–11.07.19 के द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया एवं मेसर्स सुशीला देवी एण्ड कम्पनी को अपना पक्ष रखने हेतु निगम मुख्यालय में दि0–16.07.19 को उपस्थित होने का निदेश दिया गया। दि0–16.07.19 को जिला प्रबंधक, गया एवं मेसर्स सुशीला देवी एण्ड कम्पनी के गोदाम मालिक श्री ओकांरनाथ मैतीन की उपस्थिति में सुनवाई की गई।

मेसर्स सुशीला देवी एण्ड कम्पनी के गोदाम मालिक द्वारा एस0डब्लू0सी0 के दर मो0–11.16/–रूपये प्रति वर्ग फिट के अनुरूप गणना करते हुए समर्पित विपत्र के अनुरूप पूर्व में भुगतान की गई राशि के सामंजन के उपरांत अवशेष राशि मो0–3,25,200/–रूपये मात्र का भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

निगम एक व्यापारिक संस्था है। सरकार द्वारा संचालित अधिप्राप्ति कार्यक्रम के तहत किसानों की हितों एवं अधिक से अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त हो, को देखते हुए निगम द्वारा अधिप्राप्ति का कार्य किया जाता है।

निगम द्वारा अधिप्राप्ति कार्यक्रम के तहत प्राप्त खाद्यान्नों की भंडारण हेतु निगम निदेशक पर्षद की 138 वीं बैठक के मद सं0–138.24 पर निजी व्यक्तियों के किराया में वृद्धि करते हुए स्वीकृति दी गई है। प्राप्त स्वीकृति के अनुसार प्रमंडलीय मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के लिए 4.00 रूपये प्रति वर्ग फिट दर स्वीकृत है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आलोक में मेसर्स सुशीला देवी एण्ड कम्पनी के द्वारा दि0–07.07.17 से दि0–21.09.17 तक की अवधि के लिये दी गई गोदाम का किराया प्रमंडलीय मुख्यालय नगर निगम क्षेत्र के लिए देय मो0–4.00/–(चार) रूपये प्रति वर्ग फिट स्वीकृत करते हुए पूर्व में भुगतान की गई राशि सामंजन के उपरांत अवशेष राशि भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

प्रबंध निदेशक के आदेशानुसार

उप महाप्रबंधक,भंडारण(अधि0)

49. Of

ज्ञापांकः– SR:08:05:37:01:2017 7567 दिनांकः– 20/7/19

प्रतिलिपिः–1. मेसर्स सुशीला देवी एण्ड कम्पनी, द्वारिका भवन, चौक रोड, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–2. उप महाप्रबंधक, विधि निगम मुख्यालय को उनके गै0स0प्रे0सं0–6244 दि0–18.06.19 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–3. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–4. मुख्य महाप्रबंधक,अधिप्राप्ति/ज0वि0, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–5. कंट्रोल रुम प्रभारी, निगम मुख्यालय, पटना को निगम बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–6. गोपनीय शाखा, निगम मुख्यालय, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

19/7/19

उप महाप्रबंधक,भंडारण(अधि0)

50. Of